हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रकरण संख्या 32/2023 बनाम सरकार बनाम ककली

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

25/02/2026 पत्रावली पेश हुई।

हस्तगत प्रकरण लम्बे समय से अप्रार्थी के वर्तमान पत्ते के अभाव में लम्बित है। प्रकरण में अप्रार्थी की तलबी हेतु बार–बार जारी किये गये नोटिस अदम तामिल लौटे। इस स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थी का वर्तमान पता प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी का वर्तमान पूर्ण पत्ता पेश नहीं किया गया। परिणामस्वरूप प्रकरण में अप्रार्थी का सही एवं वर्तमान पूण पता उपलब्ध नहीं होने से तलबी की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपूर्ण दस्तावेजों के साथ उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश किया है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी को बार–बार निर्देशित करने के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के वर्तमान पूर्ण पते प्रस्तुत नहीं किये जिससे नोटिस की तामिली सम्भव नहीं हो सकी और विचाराधीन प्रार्थना–पत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। न्यायिक दृष्टिकोण से यह स्थिति उचित नहीं है। यह स्थिति रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 के नियम 15 का उल्लंघन है। अतः रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 के नियम 21 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाया जाता है।

लिहाजा प्रकरण इसी स्तर पर निष्पादित किया जाता है तथा प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे अप्रार्थी के वर्तमान पूर्ण पत्ते एवं सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर विधिक आधारों के साथ रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 एवं अध्याय 4 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये पुनः प्रकरण पेश करे। निर्णय की सत्यप्रति प्रार्थी को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर, पाली